

प्रपत्र 'क'
(नियम 3 (1) देखें)



सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रपत्र

आई. डी. सं. डी.डी.नं. 31/17-18
(कार्यालय प्रयोग के लिए)

कम्प्यूटरीकृत आवेदन
पंजीयन संख्या
71195

सेवा में,

लोक सूचना पदाधिकारी, पत्र निर्माण विभाग
(विभाग/कार्यालय), विश्वसरैया भवन, वेल्ली रोड परना ।

27/04/17

1. आवेदक का नाम श्री श्रीवनाथ प्रसाद भादव शंशी डीमा प्रसाद भादव
2. पूरा पता ग्राम-पोस्ट-दौनाश, थाना-धनश, गाँवा मधुवनी
जिला-पंचमपाल विशार 845104.
3. माँगी गई सूचना का ब्यौर (संक्षेप में) कृपया सूचना के अधिकार के अन्तर्गत
निम्नोक्त जानकारी देना चाहेंगे-

① 31.03.2017 तक पत्र निर्माण विभाग में A.M.P.E अधिनियम संमन्वित
अर्जा प्राप्त डीमावनी वनीय अर्जापत्र से सहायक अर्जापत्र के पत्रों
पर प्रोबिसि हेतु 10% (दस) प्रतिशत कोटा के तहत कुल
कतन पद रिक्त हैं? वर्षवार एवं कोटिवार विवरण
उपलब्ध कराने की कृपा की जाए।

पा०/सं० 28-4-17
(अड)

4. मैं एतद् द्वारा घोषित करता/करती हूँ कि मेरी पूरी जानकारी में माँगी गई सूचना, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8 एवं 9 के अन्तर्गत मुक्त नहीं हैं यह आपके विभाग/कार्यालय से सम्बन्धित है।

20 फीस
28-4-17

- * (1) मैंने रुपये (शब्दों में) तिथि को से विभाग/कार्यालय में भुगतान किया है।
- * (2) मैं डिमाण्ड ड्राफ्ट/भुगतान आदेश सं. 74C280013-14 दिनांक 27.4.2017 जो लोड सूचनापत्र पदाधिकारी के पक्ष में भुगतये 10/1/2017 बैंक द्वारा जारी की गयी है, फीस के रूप में संलग्न करता हूँ।
- * (3) मैंने रुपये का नन-जुडिशियल स्टाम्प इस आवेदन में लगा दिया (सम्बद्ध कर दिया) है।
- * (4) मैं गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवार का हूँ। मेरा कार्ड/वांछित सर्टिफिकेट की छाया प्रति संलग्न है।

डॉक्टर फेरुआ और R5/2 दोआक
कमांड- 74C, 280013
74C, 280014

श्रीवनाथ

आवेदक का हस्ताक्षर :

ई-मेल पता, अगर कोई हो :

दूरभाष संख्या (कार्यालय) :

आवास : ग्राम-पोस्ट-दौनाश
थाना-धनश, गाँवा

आवेदक के पत्राचार का पूरा पता : मधुवनी

स्थान- परना
तिथि- 27.04.17

श्री श्रीवनाथ
263
10/5/17

जिला-पंचमपाल

04

प्रपत्र 'घ'
(सूचना उपलब्ध कराना)
(नियम 4 (1) देखें)

बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग

पत्र संख्या:-लो.सू.को./आई0डी0सं0-31/17-18-2690(E) पटना, दिनांक-30/5/17

प्रेषक,

शैलेन्द्र कुमार,
उप निदेशक (क्रय एवं परि०)-सह-लो०सू०पदा०,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

स्पीड पोस्ट

सेवा में,

श्री शेषनाथ प्रसाद यादव,
पिता-श्री डोमा प्रसाद यादव,
ग्राम+पोस्ट-दौनाहा, थाना-घनहा,
भाया-मधुबनी, जिला-प० चम्पारण, पिन-845104

महाशय,

यह आपके सूचना-आवेदन दिनांक-27.04.2017 जो इस विभाग में दिनांक-27.04.2017 को प्राप्त हुआ है, (आई0डी0सं0-31/17-18-) सूचना की माँग के लिए अनुरोध के प्रसंग में है।

2. याचित सूचना, उप सचिव, प्रभारी प्रशाखा-02, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-4444(S) दिनांक-25.05.2017 से प्राप्त है, को संलग्न किया जाता है।

अनु०-यथोक्त।

विश्वसभाजन
शैलेन्द्र कुमार
29.5.17
(शैलेन्द्र कुमार)

ज्ञापांक-2690(E)

पटना, दिनांक-30/5/17

प्रतिलिपि: उप सचिव, प्रभारी प्रशाखा-02, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-4444(S) दिनांक-25.05.2017 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

शैलेन्द्र कुमार
29.5.17
(शैलेन्द्र कुमार)

पथ निर्माण विभाग
कम्प्यूटराकृत निर्गत
पञ्जायन

31256
30570
30570

शैलेन्द्र कुमार

23

बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग

पत्र संख्या : प्र०2/स्था०-सूचना-20-15/2017 4444(5) पटना, दिनांक..... 25/5/17

प्रेषक,
रजनीश कुमार
उप सचिव, प्रभारी प्रशाखा-2
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,
लोक सूचना पदाधिकारी
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

विषय : सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत श्री शेषनाथ प्रसाद यादव द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में (आई०डी० संख्या-31/17-18)।

प्रसंग आपका पत्रांक-2205 (ई०) दिनांक 03.05.2017

महाशय,
उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के साथ संलग्न सूचना-आवेदन दिनांक 27.04.2017 से मांगी गयी सूचना के संबंध में कहना है कि दिनांक 29.07.2013 को पथ निर्माण विभाग के संयुक्त अभियंत्रण संवर्ग का विभाजन क्रमशः पथ निर्माण विभाग, भवन निर्माण विभाग तथा ग्रामीण कार्य विभाग में किये जाने का निर्णय हुआ। तदोपरांत संबंधित विभागों द्वारा अपने-अपने विभाग की वरीयता सूची प्रकाशित करने की कार्रवाई की गयी।

494/40710
26-5-17

उल्लेखनीय है कि सम्प्रति पथ निर्माण विभाग में सहायक अभियंता की औपबंधिक वरीयता सूची प्रकाशित की गयी है, अंतिम वरीयता सूची पर निर्णय विचाराधीन है। फलतः पथ निर्माण विभाग में दिनांक 31.03.2017 तक ए०एम०आई०ई० अथवा समकक्ष अर्हता प्राप्त डिग्रीधारी कनीय अभियंता से सहायक अभियंता के पदों पर प्रोन्नति हेतु 10 प्रतिशत कोटे के तहत इनके रिक्त पदों की घोषणा नहीं की गई है।

20716
26.5.17

विदित हो कि सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र संख्या-4800 दिनांक 01.04.2016 के आलोक में राज्याधीन सेवाओं में प्रोन्नति की प्रक्रिया प्रारंभ करने के संबंध में निदेश जारी किया गया है कि उच्चतर पदों पर संवर्गीय प्रोन्नति, वरीयता-सह-योग्यता के आधार पर दी जायेगी। एतदर्थ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सरकारी सेवकों को आरक्षण एवं परिणामी वरीयता का लाभ तत्काल अगले आदेश तक नहीं दिये जाने तथा इस निमित्त रोस्टर क्लियरेंस की आवश्यकता नहीं होगी, का निर्णय संसूचित है। तदालोक में संवर्ग विभाजनोपरांत कोटिवार वांछित रिक्त की घोषणा नहीं की गयी है।

श्री रजनीश
26/5

विश्वासभाजन
उप सचिव, प्रभारी प्रशाखा-2
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
25/5/17